न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद संख्या–85/1979
CIS NO – 264/2019

इन्द्रावती देवी एवं अन्य...वादीगण
बनाम
दिनेश प्रसाद एवं अन्य...प्रतिवादीगण

15.11.2021 उभय पक्ष की पैरवी है। वादीगण की ओर से आज शपथ पत्र से समर्थित एक आवेदन अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 एवं 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता व धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत दाखिल किया गया है, जिस पर प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ''नो आब्जेक्शन'' लिखा गया है।

वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी संख्या–2 अहमद हुसैन की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है जिसकी जानकारी वादीगण को नहीं थी। वे अपने पीछे आवेदन में वर्णित व्यक्तियों को विधिक वारिसान के रूप में छोड़ गए हैं। अहमद हुसैन की पत्नी पूर्व में ही मर चुकी हैं। अतः प्रतिवादी संख्या–2 के नाम पर उनके विधिक वारिसानों को पक्षकार बनाया जाय।

सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया जिससे स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी संख्या–2 की मृत्यु हो चुकी है। अतः न्याय हित में वादीगण का आवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से प्रतिवादी संख्या–2 का नाम विलोपित कर उसके स्थान पर आवेदन में वर्णित उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करें तथा यदि प्रतिवादी संख्या–2 के विरूद्ध कोई उपसमन हुआ है तो उसे अपास्त किया जाता है। तत्पश्चात वादीगण प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। वास्ते प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु अभिलेख दिनांक 29.11.2021 को प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश(प्रथम)